

‘कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच’ वषिय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development- BPR&D) ने हमिचल प्रदेश के जेल वभिग के सहयोग से शमिला में ‘कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच’ (Women in Detention & Acces to Justice) वषिय पर अब तक का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजति कथि।

सम्मेलन का उद्देश्य

- सभी दरजे के जेल कार्मकों को राष्ट्रीय स्तर पर वभिन्नि संचालनात्मक और प्रशासनकि मुद्दों पर न केवल उनके अपने समकक्षों के साथ बल्कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात अन्य वशिषज्जों के साथ महत्वपूर्ण वचिरों को साझा करने के लिये एक मंच उपलब्ध कराना।
- जेल सुधारों के संदर्भ में वर्तमान नई चुनौतियों के समाधान के लिये प्रशासनकि कार्यप्रणाली में सुधार हेतु श्रेष्ठ परंपराओं और मानदंडों को चहिनति करना।

सम्मेलन के अंतर्गत वचिरणीय वषिय

इस सम्मेलन में वचिर-वमिर्श के लिये मुख्य रूप से नमिनलखिति वषियों को चुना गया था-

1. महिला कैदियों के लिये प्रजनन स्वास्थय अधिकार : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैधानकि मानदंड।
2. महिला कैदियों की स्वास्थय संबंधी आवश्यकताएँ।
3. महिला कैदियों और उनके बच्चों का स्वास्थय, कौशल, पुनर्वास और पुनर्मलिन।
4. महिला कैदियों पर केंद्रति जेल सुधार, संरचनात्मक, प्रबंधकीय और वैधानकि मुद्दे तथा वैश्वकि मानदंडों से तुलना।
5. अपराधियों के लिये न्यूरो-अपराध वज्जान कार्यक्रम।
6. जेल सुधार।

सम्मेलन से होने वाले लाभ

- इस आयोजन से देश भर में प्रशासन से संबंधति सुधारात्मक अनुसंधान और वकिसात्मक क्रयिकलापों को बढ़ावा मलैगा।
- वभिन्नि सुधारात्मक कार्यों द्वारा प्रशासन के बीच वैज्जानकि पहुँच वकिसति करने की दशिा में मार्ग प्रशस्त होगा।

इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता

- हालाँकि ‘कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच’ वषिय पर महिला सशक्तीकरण से संबंधति संसदीय समतििने कई संस्तुतियों की हैं लेकिन महिला कैदियों की स्थितिमें सुधार और उनके मौलकि अधिकारों की रक्षा के लिये रणनीति और कार्यक्रम तैयार करने हेतु की गई कुछ संस्तुतियों पर चर्चा करना आवश्यक है।

‘महिला एवं बाल वकिसा मंत्रालय’ का प्रयास

- अपरैल, 2018 में महिला और बाल वकिसा मंत्रालय ने ‘जेलों में महिलाएँ’ वषिय पर एक रपिर्ट जारी की थी जिसका उद्देश्य महिला बंदियों के वभिन्नि अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी समस्याओं पर वचिर करना और उनका संभव समाधान करना है।

‘जेलों में महिलाएँ’ (Women in Prison) रपिर्ट

- इस रपिर्ट में 134 सफिराशें की गई हैं, ताकि जेल में बंद महिलाओं के जीवन में सुधार लाया जा सके।

- गर्भवती तथा जेल में बच्चे का जन्म, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, समाज के साथ एकीकरण और उनकी देखभाल आदि ज़िम्मेदारियों पर वचिार के लिये सफ़िररशियों की गई हैं ।
- ररररट में राष्ट्ररीय आदर्श जेल मैनुअल 2016 में वभिन्न परवररतन कये जाने का सुझाव दया गया है ताकइसे अंतर्राष्टीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके ।

राष्टरीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलतल सूचना के अनुसार

- 31 दसंबर, 2016 की स्थतलके अनुसार, देश की वभिन्न जेलों में 18,498 महिला कैदी बंद थीं ।
- इनमें से 1649 महिला कैदी बच्चों के साथ बंद थीं ।
- छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चमि बंगाल और राष्ट्ररीय राजधानी क्षेत्र दल्लली की जेलों में महिला कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक थी ।

(नोट : उपरोक्त आँकड़े गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा गैर-तारांकतल प्रश्नों के जवाब में उपलब्ध कराए गए थे)

नष्करष

- यह सम्मेलन महिला कैदियों की स्थतलये में सुधार लाने के साथ ही न्याय तक उनकी पहुँच बढ़ाने के क्रम में जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन सुनश्चलतल करने में मददगार होगा ।

इस वषलये पर और अधिक जानकारी के लये पढ़ें

जेलों में महिलाएँ : वर्तमान स्थतल, समस्याएँ एवं चुनौतयाँ

<http://www.drishtias.com/hindi/pib-prs-articles/report-on-women-in-prisons-launched-by-the-ministry-of-women-and-child-development>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/first-regional-conference-on-women-in-detention-and-access-to-justice>

